झअनुसूची 14--फारम सं०--562।

आदेश--पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक--1941 का नियम 129)

आदेश--पत्रक -- ....ता०..से.......... ....तक

जिला-- लखीसराय, वाद संख्या :-- 64 / 2015--16 सन् 2016

केश का प्रकार :-- समपहरण वाद राज्य बनाम मे0 बसौनी इण्डेन गैस वितरक, ग्राम--बसौनी कसवा,

देश की क्रम ा और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
.01.16	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय का पत्रांक--666 / आ0, दिनांक--12.11.2015 द्वारा पीरीबाजार थाना काण्ड सं0--63 / 15 दिनांक--04.11.2015 के अंतर्गत जप्त घरेलू गैस सिलेन्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा--6A के तहत समपहरण करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री दीपक कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा के आवेदन दिनांक--04.11.2015 में उल्लेख है कि दिनांक--04.11.2015 को अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय के निदेशानुसार सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय एवं मनीष कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हलसी के साथ मे0 बसौनी इण्डेन गैस वितरक, ग्राम--बसौनी, कसवा के कार्यालय एवं गोदाम का जाँच किया गया। समय 02:00 बजे अपराह्न में मे0 बसौनी इण्डेन गैस वितरक के कार्यालय पर एजेन्सी के प्रबंधक संजय दयाल उपलब्ध थे। जाँच में भंडार पंजी, बिक्री पंजी एवं उपभोक्ता की सूची इत्यादि की मांग करने पर प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, प्रबंधक द्वारा बताया गया कि भंडार पंजी इत्यादि उपलब्ध नहीं है। जाँच के क्रम में इनवाईस नं0--6667525, दिनांक--29.10.15 दिखाया गया, जिसके अनुसार दिनांक--29.10.15 को 306 सिलेन्डर (14.2Kg.) आने की सूचना दी गई, पर उसका वितरण कब--कैसे एवं किसके बीच किया गया इसकी पुष्टि नहीं की गई। प्रबंधक द्वारा विस्फोटक एवं मापतौल की अनुज्ञप्ति नहीं दिखाया गया। गोदाम जाँच के क्रम में 14.2 किलो का खाली सिलेन्डर--603 गोदाम में एवं 190 सिलेन्डर गोदाम के बाहर पाया गया। 19 किलो का 14 भरा हुआ सिलेन्डर एवं 5 खाली सिलेन्डर पाया गया। गोदाम जाँच में प्रबंधक द्वारा कुछ आस--पास के गाँव जो मुंगेर जिला में पड़ता है उसे भी गैस देने की बात कही गई। घटना की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को दी गई तथा निदेशानुसार दो स्वतंत्र गवाहो के समक्ष जप्ती सूची तैयार की गई। जप्ती सूची के अनुसार जप्त सामग्री को वितरक के गोदाम में ही सील कर दिया गया। भंडार पंजी, वितरण पंजी इत्यादि कार्यालय में नहीं रहने / गैस वितरण की पुष्टि नही रहने से स्पष्ट होता है कि दिनांक--29.10.2015 को गैस 30 सिलेन्डर(14.2Kg.) आया है, उसका कालाबाजारी कर दिया गया। अतः मे0 बसौनी इण्डेन गैस वितरक, ग्राम--बसौनी, कसवा, प्रो0 पूनम कुमारी, पति--सुधीर कुमार दास, सा0--बसौनी कसवा को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धारा--7 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा किया गया है। उपर्यक्त तथ्य जो संलग्न प्राथमिकी के आधार पर जप्ती सूची तथा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय की अनुशंसा पर सामने आये हैं, यह स्पष्ट है कि नामजद अभियुक्त मे0 बसौनी इण्डेन गैस वितरक, ग्राम--बसौनी, कसवा, प्रो0 पूनम कुमारी, पति--सुधीर कुमार दास, सा0--बसौनी कसवा द्वारा The Prevention of Black Marketing Maintainance of Supply Essential Commodity Act. 1980 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा--7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया जाना	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारिख
1	2	3
	प्रमाणित है। चूँकि जप्त घरेलू गैस नष्ट न हो, अतः अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को EC Act. 1955 amended Bihar Act. 9 of 1978 के 6(A)(2) के तहत आदेश दिया जाता है कि जप्त घरेलू गैस को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करते हुए प्रतिवेदन दें। पुनः आदेश दिया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(B) के तहत अभियुक्त को नोटिस निर्गत करें कि क्यों नहीं जप्त घरेलू गैस, आवश्यक वस्तु अधिनियम 6(A) के तहत समपहरण कर ली जाय। अभिलेख दिनांक- 2-03-16 को उपस्थापित करें। जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय। ज्ञापांक-87 विधि, दिनांक-29-01-16 प्रतिलिपि :-अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखी0 / अनुमंडल पदाधिकारी, लखी0 तथा थाना प्रभारी, पीरी बाजार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदा0, लखी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।	